

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 18173-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१७

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

अनुसूची १-क का संशोधन.

(एक) अनुच्छेद २५ में, कालम (२) में, परंतुक में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(छ) जब कोई लिखत, यथास्थिति, भूमि स्वामी अथवा पट्टेदार की सहमति के साथ अनुच्छेद ६ (घ) (एक) के अधीन निष्पादित लिखत से अभिप्राप्त हुए विकास अधिकार एवं/अथवा निर्माण अधिकार के अंतरण से संबंध रखती है, शुल्क की दर, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अधिकार के अंतरण से संबंधित भूमि के बाजार मूल्य या प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगी.

(दो) अनुच्छेद ६२ में, कॉलम (२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—किसी खनन पट्टे के समनुदेशन की दशा में, शुल्क, पट्टे की शेष कालावधि पर निर्भर रहते हुए अनुच्छेद ३८(ख) के अधीन संगणित की गई रकम या मूल्य के समतुल्य होगा.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) की अनुसूची १-क में कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं :-

- (एक) वर्तमान में अनुसूची १-क में विकास/निर्माण अधिकार के अंतरण के लिये स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण के लिये कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, अतएव अनुच्छेद २५ में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित है, जो रियल स्टेट सेक्टर में विकासात्मक क्रियाकलापों को बढ़ावा देगा और संबंधित पक्षकारों को ऐसे संव्यवहारों का विधिक दस्तावेजीकरण करने का अवसर होगा.
- (दो) वर्तमान में खनन पट्टे के अंतरण के लिये युक्तियुक्त रूप से स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के लिये कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, अतएव अनुच्छेद ६२ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जुलाई, २०१७

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.